


-- आदेश --

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु राहगति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी राहगति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्दाज दुरस्ती परस्पर राहगति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्दाज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्दाज					रवीकृत किया गया इन्दाज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
1/295	295	हुसैनको पुत्र वासु उमरुमी साँ, लोहा कायमलान) लोहा	205	0.46	हुसैनको पुत्र नासिरुलान, लोहा कायमलान) लोहा	205	0.46


शिविर प्रभारी


(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

क्रमांक :- 942

दिनांक :- 16/11/24

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर


शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर